४ ७४ ... ५८ १९७१

रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 300] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 7, 1971/वैशाख 17, 1893

No. 300] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 7, 1971/VAISAKHA 17, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 7th May 1971

S.O. 1920/IDRA/15/71.—Whereas the Central Government is of the opinion that there has been or is likely to be substantial fall in the volume of production in respect of cotton textiles manufactured in the industrial undertaking known as the Arati Cotton Mills Ltd., Dassnagar, Howrah, for which, having regard to the economic conditions prevailing, there is no justification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chairman

(1) Dr. N. N. Banerjee, Principal, College of Textile Technology Serampore, West Bengal.

Members.

(2) Shri M. G. Mirchandani, Director (Technical), National Textile Corporation Ltd.

(3) Shri F. C. Dhawan, Director (Finance), National Textile Corporation Ltd.

(4) Shri S. Chowdhuri, Special Officer (Industries), Office of the Refugee Relief and Rehabilitation Commissioner, Governmen of West Bengal, 10-A Aukland Road, Calcutta.

(5) Shri S. Kumar, Senior Accounts Officer, Office of the Regional Director, Company Law Board, Calcutta.

Member-Secretary.

(6) Shri B. D. Mukherjee, Deputy Director, Office of th Textile Commissioner, Bombay-20.

[No. F. 9(9)Lic Pol./71.]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 मई, 1971

का० आ० 1920/आई० डी० आर० ए०/15/71.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि आरती कॉटन मिल्स लि०, दासनगर, हावड़ा नामक औद्योगिक उपक्रम में निर्मित सूती वस्त्र के सम्बन्ध में उत्पादन के परिमाण में काफी गिरावट हुई है अथवा होने की संभावना है, जिस के लिये वर्तमान आर्थिक स्थितियों को देखते हुए, कोई औचित्य नहीं है ।

अतः, अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मामले की परिस्थितियों की समग्र तथा पूर्ण जांच करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित व्यक्तियों के एक निकाय की एतद्द्वारा नियुक्ति करती है :—

(1)	डा० एन० एन० बनर्जी, प्रिंसिपल, कालेज आफ टैक्सटाइल टैकनालोजी, सिरामपुर, प० बंगाल ।	अध्यक्ष
(2)	श्री एम० जी० मीरचन्दानी, निदेशक (तकनीकी), राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि० ।	सदस्य
(3)	श्री एफ० सी० धवन, निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि०।	सदस्य
(4)	श्री एस० चौधरी, विशेष अधिकारी (उद्योग) शरणार्थी सहायता तथा पुनर्वास का कार्यालय, पं० बंगाल सरकार, 10-ए० आक्लैंड रोड, कलकत्ता ।	सदस्य

(5) श्री एस० कुमार — सदस्य
वरिष्ठ लेखा अधिकारी,
क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय,
कम्पनी विधि बोर्ड,
कलकत्ता ।

(6) श्री बी० डी० मुखर्जी, — सदस्य-सचिव
उप-निदेशक,
कम्पनी आयुक्त का कार्यालय,
बम्बई-20 ।

[सं० फा० 9(9) लिक० पोल०/71]

एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971